भारतीय संवधिान में प्रथम संशोधन

प्रलिमि्स के लयि:

अभवि्यक्तकिी स्वतंत्रता का अधकिार, अनुच्छेद 19, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनहति याचकिा, सर्वोच्च न्यायालय, राजद्रोह।

मेन्स के लयि:

वर्ष 1951 का भारतीय संवधिान का पहला संशोधन और इसके नहितिार्थ।

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 में संवधिान में पहले संशोधन द्वारा भाषण और अभवि्यक्तकिी स्वतंत्रता के अधकिार में कयि गए परविर्तनों को चुनौती देने वाली एक जनहति याचकिा की जाँच करने के लयि सहमतवि्यक्त की है।

- न्यायालय ने कहा कयि एक वचिार-वमिर्श वाला कानूनी मुद्दा है और इस पर केंद्र की राय अपेक्षति है।

याचकिाकर्त्ता के तर्क:

- **आपत्तजिनक प्रवष्टियिाँ (Objectionable Insertions):**
  - **संशोधन अधनियिम की धारा 3(1) द्वारा अनुच्छेद 19 के मूल खंड (2) को एक नए खंड (2) के साथ प्रतस्थिापति कयि गया,** जसिमें **दो आपत्तजिनक प्रवष्टियिाँ थीं।**
  - अनुच्छेद 19 का मूल खंड (2) अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभवि्यक्तकिी स्वतंत्रता पर उचति प्रतबिंधों से संबंधति था।
  - नए खंड (2) में "दो आपत्तजिनक प्रवष्टियिाँ" शामलि हैं, जो "लोक व्यवस्था के हति में" और "अपराध को उकसाने के संबंध में" भी प्रतबिंधों की अनुमतदिेती हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा:**
  - इस संशोधन द्वारा **'राज्य की अखंडता को नुकसान पहुँचाने** के संदर्भ में अभवि्यक्तकिी स्वतंत्रता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की भी उपेक्षा की गई है,जसिसे **कट्टरपंथ, आतंकवाद और धार्मकि कट्टरवाद द्वारा धर्मनरिपेक्ष लोकतांत्रकि गणराज्य की अवधारणा के प्रतगिंभीर चति उत्पन्न** हुई है।
- **ये दो प्रवष्टियिाँ नम्नि धाराओं (Sections) को प्रतरिक्षा देती हैं:**
  - 124A: राजद्रोह
  - **153 A**: धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, नविास, भाषा आदकिे आधार पर वभिन्नि समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के प्रतकिूल कार्य करना।
  - **295A:** जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, जसिका उद्देश्य कसिी भी वर्ग की धार्मकि भावनाओं या उसके धर्म या धार्मकि वशि्वासों का अपमान करना है।
  - **505**: असंवैधानकि तरीके से भारतीय दंड संहति के तहत सार्वजनकि व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाले वक्तव्य देना।
- **धारा 3 (1) (a) - 3 (2) को अप्रभावी करना:**
  - इस याचकिा में न्यायालय से पहले संशोधन की **धारा 3 (1) (a) और 3 (2) को "संसद की संशोधन शक्तसिे परे" घोषति करने तथा** इसे "संवधिान की आधारभूत संरचना को नुकसान पहुँचाने एवं नष्ट करने" के आधार पर शून्य घोषति करने का आग्रह कयि गया।

संवधिान (प्रथम संशोधन) अधनियिम, 1951:

- **वषिय:**
  - प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में **अनंतमि संसद द्वारा पारति कयि गया था, जसिके सदस्य संवैधानकि सभा के हस्सिे के रूप में संवधिान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे।**

- प्रथम संशोधन अधिनियम ने **अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया।**
- कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।
- भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिये **नौवीं अनुसूची** जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31ए और 31बी जोड़े गए।

- **संशोधन का कारण:**
  - इन संशोधनों का तात्कालिक कारण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों की एक शृंखला थी, जिन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों, प्रेस से संबंधित कानूनों और आपराधिक प्रावधानों को खारिज कर दिया था, जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ असंगत माना जाता था।
- **प्रभाव:**
  - **अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के तहत** नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को इस आधार पर **न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती** है कि उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
  - अनुच्छेद 31 (ए) ने राज्य को **संपत्ति के अधिग्रहण या सार्वजनिक हित में किसी भी संपत्ति या निगम के प्रबंधन के संबंध में शक्ति निहित** की है। इसका उद्देश्य ऐसे अधिग्रहणों को **अनुच्छेद 14 और 19 के तहत न्यायिक समीक्षा** से छूट देना था।
  - नौवीं अनुसूची का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था। **नौवीं अनुसूची में न्यायिक जाँच से संरक्षण प्राप्त करने वाले 250 से अधिक विधान शामिल हैं।**

आगे की राह

- अलग राजनीतिक संदर्भ में आयोजित होने के बावजूद प्रथम संशोधन की बहस **आज भी प्रासंगिक** है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र कठिन अथवा अनिश्चित समय से गुज़र रहा है।
- स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत और विपक्षी नेताओं, वकीलों तथा मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ पेगासस निगरानी सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग के बारे में हालिया खुलासे आदि इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये संस्थागत सुरक्षा उपायों को क्यों संरक्षित एवं मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है।**
- आज़ादी के 74 साल बाद प्रथम संशोधन की बहस पर फिर से विचार करना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल के दौरान की गई थी? (2019)

(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) लाल बहादुर शास्त्री
(c) इंदिरा गांधी
(d) मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/first-amendment-to-the-indian-constitution